क्रम संख्या–058

# सरकारी गजट, उत्तरांचल


उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 08 मई, 2001 ई0

बैशाख 18, 1923 शक सम्वत्


उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 06/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 08 मई, 2001

### अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 08 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तरांचल अधिनियम संख्या : 06 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम–2001

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उत्तरांचल राज्य में संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 11 जून, 2001 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 10-क क के खण्ड (ग) के द्वितीय परन्तुक में संशोधन

2. उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तरांचल संशोधन) सन् 2001 की धारा 10–क क के खण्ड (ग) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नवत् रख दिया जायेगा। अर्थात :–

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि 31 मार्च, 2002 या नई नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत के गठन तक, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।"

आज्ञा से,

(पी0 सी0 पन्त)

सचिव, विधायी।

---

No. 06/Vidhayee And Sansadiya Karya/2001

*Dated Dehradun, May 08, 2001*

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Municipalities Act (Dwitiya Uttaranchal Sanshodhan) Bill, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 06 of 2001) as passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on May 08, 2001.

## THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT (DWITIYA UTTARANCHAL SANSHODHAN) ACT, 2001

*To further amend the Uttar Pradesh Municipalities Act 1916 in its application to Uttaranchal.*

**AN**

**ACT**

It is hereby enacted in the fifty second year of the Republic of India as follows :--

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities Act (Dwitiya Uttaranchal Sanshodhan) Adhiniyam, 2001.
   (2) It extents to the whole of Uttaranchal.
   (3) It shall come into force on June 11, 2001.

Amendment of the second proviso of clause (c) of section 10-AA of U.P. Act no. 2 of 1916

2. After clause (c) of Section 10-AA of the Uttar Pradesh Municipalities Act 1916 the Second Proviso of the said Section shall be substituted as under, namely:--

"Provided further that the Administrator appointed under this section shall have a term till March 31, 2002 or till the new Municipal Council/Nagar Panchayat is constituted, whichever is earlier."

By Order,

(P. C. Pant)

*Sachiv, Vidhayee.*

P. S. U. (Re.) 4 Vidhayee/149--2001--500 (Computer).